|| श्री ||

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प — उज्जैन
प्रकरण क्रमांक — /2013—14 पुनरीक्षण

R 260 पुन 14

समंदरसिंह आयु 62 वर्ष पिता दुलेसिंहजी जाति राजपूत निवासी ग्राम— असावता तहसील बड़नगर जि.उज्जैन
——— आवेदक

विरूद्ध

01. महिला कमलाबाई पति रामसिंहजी पिता थावरजी जाति बलाई, धंधा कृषि, निवासी ग्राम— असावता तहसील बडनगर जिला उज्जैन म0प्र0

02. राजपालसिंह आयु 28 वर्ष पिता समंदरसिंहजी जाति राजपूत, निवासी ग्राम असावता तह.बड़नगर

03. आयु पिता समदरसिंहजी आयु 20 वर्ष जाति राजपूत, निवासी ग्राम — असावता तह.बडनगर
——— अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा — 50 म.प्र. भू.रा.सं.

न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील बड़नगर द्वारा प्रकरण कमांक — 12—अ—13/10—11 मे पारित आदेश दिनांक— 19/12/2013 से असंतुश्ट होकर — पुनरीक्षण याचिका.

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि अनावेदक कमलाबाई द्वारा धारा 131 भू.रा.सं. का आवेदन प्रस्तुत किया गया । अनावेदक की और से धारा 32 भू.रा.सं. का जवाब प्रस्तुत होकर आवेदन निरस्त हुआ । अनावेदक द्वारा मूल आवेदन पत्र धारा 131 का जवाब तैयार कर अभिभाषक महोदय की फाईल मे रखा गया परन्तु भुलवश प्रस्तुत नही हो सका । प्रकरण मे साक्ष्य की तैयारी के समय उक्त त्रुटी का ज्ञान होने पर दिनांक 19/12/13 को मूल आवेदन पत्र का जवाब धारा 32 भू.रा.स. के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर नही लिया तथा धारा 32 भू.रा.सं. का आवेदन पत्र का निराकरण

IX(a)BR(H)-11

(27)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग. 760–एक / 14 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–4–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 29 पेशियां हो जाने के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब को अभिलेख पर लेना सम्भव नही माना है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलनशील है अतः जबाव को रिकार्ड पर लेना न्याय की दृष्टि से उचित होगा । अतः उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाए । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	